कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।

पत्रांक–के०जी०बी०वी० / नियुक्ति / 3171 / 2024–25 दिनांक– 06.08.2024

विज्ञप्ति

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के नवीन चयन / पदस्थापन / संविदा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 / 1553 / 68–5–2020 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2020 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जनपद लखनऊ में संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्ण कालिक शिक्षिका, अंश कालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी व चौकीदार के रिक्त पदो पर नियत मानदेय पर नियुक्ति (संविदा आधारित) हेतु निम्नानुसार वर्णित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर दिनाक 21.08.2024 की सायं 05 बजे तक निर्धारित शर्तो एवं प्रारुप के अधीन आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा निर्देश www.lucknow.nic.in पर भी उपलब्ध है। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	पद का नाम	विषय	आयु सीमा 01 अप्रैल, 2024	मानदेय	पदों की संख्या	आरक्षण की स्थिति	शैक्षिक योग्यता
1	पूर्ण कालिक शिक्षिका	विज्ञान	25–45	24200	04	अनु0जाति0–01 अन्य पिछड़ा वर्ग–03	प्रशिक्षित स्नातक (**बी0एस0सी0 (ZBC)** तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
2	पूर्ण कालिक शिक्षिका	गणित	25–45	24200	03	सामान्य–03	प्रशिक्षित स्नातक (**बी0एस0सी0 (PCM)** तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
3	पूर्ण कालिक शिक्षिका	भाषा (हिन्दी, संस्कृत)	25–45	24200	01	सामान्य–01	प्रशिक्षित स्नातक (**हिन्दी, संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि**) तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
4	पूर्ण कालिक शिक्षिका	सामाजिक विषय	25–45	24200	01	अनु0जाति0–01	प्रशिक्षित स्नातक (**इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि)** तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
5	अंशकालिक शिक्षिका	कला–क्राफ्ट	25–45	12181	02	सामान्य–01 अनु0जाति0–01	स्नातक उपाधि, सहित प्रशिक्षण उपाधि (**कला / क्राफ्ट / संगीत में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि**) तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा।
6	अंशकालिक शिक्षिका	कम्प्यूटर	25–45	12181	03	सामान्य–01 अनु0जाति0–02	प्रशिक्षित स्नातक, प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 / बी0सी0ए0 / बी0एस0सी(कम्प्यूटर साइंस) अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से "O" Level/ "A" Level Diploma आदि भी शैक्षिक योग्ता वांछित होगी। उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण।

Scanned with ACE Scanner

7	अंशकालिक शिक्षिका	शारीरिक शिक्षा	25–45	12181	01	सामान्य–01	बी0पी0एड0/सी0पी0एड0/डी0पी0एड आदि उपाधियां शारीरिक शिक्षा के अध्यापन के लिय मान्य होगी। टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं है।
8	मुख्य रसोईया (पूर्णकालिक)	---	25–45	8577	01	सामान्य–01	कक्षा–08 उत्तीर्ण शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो।
9	सहायक रसोईया (पूर्णकालिक)	---	25–45	6433	06	सामान्य–02 अनु0जाति0–03 अन्य पिछड़ा वर्ग–01	कक्षा–08 उत्तीर्ण शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो।
10	चौकीदार (पूर्णकालिक)	---	25–45	7147	02	सामान्य–02	कक्षा–08 उत्तीर्ण शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो।
11	चपरासी (पूर्णकालिक)	---	25–45	7147	03	अन्य पिछड़ा वर्ग–02 सामान्य–01	कक्षा–08 उत्तीर्ण शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो।

आवेदन हेतु सामान्य निर्देश आवेदन का प्रारूप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा www.lucknow.nic.in पर उपलब्ध है।

सामान्य निर्देश –

1. आवेदन–पत्र साफ एवं सुन्दर अक्षरों में साफ हस्तलिखित/टंकित ही स्वीकार्य होगा जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य है। अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किये गये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
2. पूर्णकालिक शिक्षिका/अंशकालिक शिक्षिका के पदो पर चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
3. मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार के पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन क्रिया जायेगा। तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने पर संबंधी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. सभी पदो पर मानदेय राज्य परियोजना के समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार देय होगा।
5. आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवदेन पत्र अंकित होना आवश्यक है अन्यथा आवदेन निरस्त कर दिया जाएगा।
6. आवेदन पत्र के साथ अंक–पत्रों, प्रमाण–पत्रों (शैक्षिक एवं प्रशिक्षण), चरित्र प्रमाण–पत्र, जन्मतिथि प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, की स्व–प्रमाणित प्रतियां संलग्न किये जाएँ। साक्षात्कार/काउन्सिलिंग के समय समस्त उपरोक्त सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा तीन लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर रू0 45.00 का डाक टिकट लगा हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
8. आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा।
9. आयु की गणना 01 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो। राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देय होगा।
10. किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिये अर्ह नहीं होगें। यदि चयनोपरान्त उक्त तथ्य प्रकाश में आता है तो बिना किसी नोटिस के संविदा समाप्ति कर दी जायेगी।
11. अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किये गये आवेदन–पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
12. अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग/साक्षात्कार के लिए आने पर कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
13. सभी पदों पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
14. पूर्णकालिक शिक्षिका, चौकीदार, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया के पद पर नियुक्ति के उपरान्त विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा।

Scanned with ACE Scanner

15. के०जी०बी०वी० के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये है उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नवीन चयन में आवेदन करने पर के०जी०बी०वी० में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिये 2 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा, किन्तु अधिकतम् भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।
16. उक्त पद शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए होगा। कार्य एवं व्यवहार ठीक पाये जाने पर संविदा अवधि अगले शैक्षिक सत्र के लिये बढ़ाई जा सकती है। सेवायें संतोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के संविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
17. पदवार/विषयवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है, जिसके संबंध में विषयवार, पदवार आरक्षण का निर्धारण चयन समिति के निर्णय के आधीन होगें।
18. प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पदों का उल्लेख करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
19. बिना पूर्व सूचना के विज्ञप्ति सक्षम स्तर द्वारा निरस्त की जा सकती है। इस हेतु कोई वाद मान्य नहीं होगा। तथा विज्ञप्ति लिपकीय त्रुटि के संधान रहेगी।
20. उपरोक्त समस्त चयन माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में आयोजित याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगा।
21. चयन के उपरान्त अभ्यर्थी को 100 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय में आयोजित याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश उसे मान्य होगा तथा वह उसके द्वारा पद से हटाये जाने पर कोई दावा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
22. चयन के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा संविदा अनुबन्ध भरने के उपरान्त बीच सत्र में कार्य छोड़ने पर एक माह का पारिश्रमिक/मानदेय जमा करना होगा।

पृष्ठाकंन– उक्तवत्। दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, लखनऊ।
3. उपशिक्षा निर्देशक/प्रार्चाय डायट, लखनऊ।
4. समस्त उपजिलाधिकारी लखनऊ को कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. जिला विज्ञपन एवं सूचना अधिकारी, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि **www.lucknow.nic.in** वेवसाइट पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
7. समस्त खण्ड़ विकास अधिकारी, लखनऊ को कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
8. समस्त खण्ड़ शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
9. सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला व हिन्दुस्तान इस आशय के साथ प्रेषित की दैनिक समाचार पत्रों में पठनीय व न्यूनतम राजकीय दरों पर विज्ञप्ति प्रकाशि करनें का कष्ट करें।
10. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(सविता शुक्ला)
जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा)
समग्र शिक्षा, लखनऊ।

(राम प्रवेश)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ।

Scanned with ACE Scanner

जनपद लखनऊ के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र

वर्ष 2024–25

(नाम, पिता नाम, जन्मतिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार लिखि जाये, एक आवेदक एक ही पद के लिए मान्य होगा)

1. विज्ञापन संख्या–...
2. आवेदित पद का नाम–...
3. आवेदित विषय का नाम(केवल शिक्षिका हेतु)–..............................
4. आवेदक का नाम–..
5. लिगं–**महिला**
6. आवेदक के पिता का नाम...
7. आवेदक के पति का नाम–...
8. स्थायी पता–..
9. पत्राचार का पता,–...
10. दूरभाष न०.......................................ई–मेल..................................वाट्सप नम्बर............
11. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)–01.04.2024 को........... वर्ष..................माह..................दिन.......
12. राष्ट्रीयता...
13. आधार कार्ड संख्या..
14. आरक्षित श्रेणी (1–सामान्य, 2–अ०पि०वर्ग०, ३–अनु०जाति, 4–अनु० जनजाति .... ।
15. के0जी0बी0वी0 मे कार्य करने का अनुभव यदि कोइ हो (छायाप्रति संलग्न करे)..............
16. शैक्षिक योग्यता –

क0 सं0	परीक्षा का नाम	विद्यालय / बोर्ड / विश्वविद्यालय	वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	कक्षा–8 (केवल शिक्षणेत्तर के लिए)						
2	हाईस्कूल						
3	इण्टरमीडिएट						
4	स्नातक						
5	प्रशिक्षण योग्यता(Bed)						
6	कम्प्यूटर प्रशिक्षण						
7	उ0प्रा0स्तर टी0ई0टी0						
8	अन्य						

अन्य प्रमाण पत्र–

संलग्नको की संख्या –

घोषणा पत्र

1. मैं .... शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैंने विज्ञप्ति में अंकित की गयी पात्रता की शर्तें सावधानी पूर्वक पढ़ी है। वे मुझे मान्य है और उक्त शर्ते में पूरी करती हूँ। इस विवरण में दिये गये समस्त विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही है और मैंने सभी तथ्यों/विवरणों/सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया/भ्रामक नहीं है। चयन से पूर्व अथवा बाद में कोई विवरण असत्य/गलत पाये जाने पर अथवा मेरे द्वारा छिपाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाये। मेरा कार्य असन्तोषजनक पाये जाने पर।
2. समस्त मूल प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।
3. मेरा कार्य असंतोष पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के किसी भी समय चयन निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा तथा इस पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी। इस संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद दायर नही करूंगी।

दिनांक–

स्थान–

आवेदक के हस्ताक्षर–

सुस्पष्ट नाम–

पता–

Scanned with ACE Scanner